कार्यालय पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/2035नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 04.06.2021

प्रति,

1 प्रबंध संचालक,
शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ,

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी/महाप्रबंधक/प्रबंधक,
संभाग/जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ.

विषयः– कोविड–19 के कारण आकस्मिक रूप से निधन हुए कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 55(1)के तहत राज्य में पंजीकृत एवं कार्यरत् सहकारी संस्थाओं के लिए सेवा नियम प्रभावशील हैं तथा सहकारी संस्थाएं के सेवायुक्तों के आकस्मिक मृत्यु की दशा में परिवार की संभावित वित्तीय कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सेवायुक्त के विधिमान्य आश्रित को प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने बाबत् अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी नियम भी जारी किए गए है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के राज्य में फैलाव के दौरान सहकारी क्षेत्र में कार्यरत् कई कर्मचारियों की कोरोना से पीडित होकर मृत्यु हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप उन कर्मचारियों के परिवार के भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के कारण किसी सेवायुक्त की यदि मृत्यु हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में पंजीयक द्वारा संस्था के लिए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जारी नियम–निर्देशों का पालन करते हुए पात्र उत्तरधिकारी को एक माह के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/2035 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 04.06.2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग छत्तीसगढ।
3. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त छत्तीसगढ।
4. कक्ष प्रभारी समस्त, मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ